

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-21052022-235945
SG-DL-E-21052022-235945

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 282]	दिल्ली, शुक्रवार, मई 20, 2022/वैशाख 30, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 72
No. 282]	DELHI, FRIDAY, MAY 20, 2022/VAISAKHA 30, 1944	[N. C. T. D. No. 72

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस-II) विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 18 मई, 2022

फा. सं. 8/163/2021/गृह पुलिस-II/1058-71.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या 11011/2/74-यू टी एल (i) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा श्री अखंड प्रताप सिंह, अधिवक्ता को पुलिस थाना विशेष प्रकोष्ठ में भारतीय दंड संहिता की धारा 170/384/388/419/420/186/353/506/120ख, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 66-घ तथा मकोका अधिनियम की धारा 3 और 4 के अंतर्गत दिनांक 07.08.2021 की एफआईआर सं. 208/21 के द्वारा पंजीकृत मकोका मामले में परीक्षण न्यायालय हेतु विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं।

यह माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
एल. के. गौतम, उप सचिव (गृह-II)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 18th May, 2022

F. No. 8/163/2021/HP-II/1058-71.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. 11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Competent Authority, is pleased to appoint Sh. Akhand Pratap Singh, Advocate as Special Public Prosecutor in the Trial Court in MCOCA case registered vide FIR No. 208/21 dated 07.08.2021 U/s 170/384/388/419/420/186/353/506/120B IPC & 66-D IT Act, Section 3&4 MCOC Act, P. S Special Cell.

This issues with the approval of Hon'ble Lieutenant Governor, GNCT of Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

L. K. GAUTAM, Dy. Secy. (Home-II)